न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3089 सन 2026
CNR. No.UPSP010072462026

1. सावेज पुत्र अशरफ।
2. नफीस पुत्र अशरफ।
3. मोहतरम पुत्र गफूर।
निवासीगण–ग्राम नन्हेडा बुढढाखेडा, थाना नागल, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 105/2026
धारा 109(1),191(2),191(3),115(2),352,117(2) 351(3) बी.एन.एस
थाना नागल, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

21.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **सावेज, नफीस एवं मोहतरम** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण दिनांक 10.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ जुबैर पुत्र आदिल खान का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्तगण का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी इकराम द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वादी का उसके पडोस में रहने वाले सावेज व नफीस के साथ रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके चलते उपरोक्त सावेज, नफीस, अशरफ, मोहतरम, रहमान एवं तालिब उससे व उसके परिवार से रंजिश रखते हैं। दिनांक 29.03.2026 को 12:00 बजे दिन में उपरोक्त सावेज वादी के निजी रास्ते से जा रहा था। जब वादी के लडके जीशान ने उसको रोका तो उपरोक्त सावेज ने जीशान के साथ गाली गलौच करना शुरू कर दिया तथा सावेज की भाई नफीस व उसके परिवार के मोहतरम, रहमान व तालिब ने एक राय होकर लाठी–डण्डो व धारदार हथियार से जीशान पर हमला कर दिया तथा मोहतरम ने जान से मारने की नीयत से जीशान के उपर फावडे से वार किया। जीशान के चिल्लाने की आवाज सुनकर वादी का बडा लडका फैजान, पुत्रवधू अफशाना तथा अलफिशा ने मौके पर आकर जीशान को बचाने का प्रयास किया तो उपरोक्त सभी विपक्षीगण ने इन पर हमला कर दिया तथा इनके उपर ईंट–पत्थर फेंक कर मारे। शोर शराबे की आवाज सुनकर आस–पडोस के असलम, दानिश व दिलशाद ने इन्हें बचाया। विपक्षीगण जाते समय जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। उक्त घटना में वादी के लडके जीशान, फैजान व पुत्रवधू अफशाना एवं अलफिशा को गम्भीर चोटे आयी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वे निर्दोष हैं, उन्हें इस मामले में रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब व वास्ता नही है। प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 घंटे की देरी से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वाद उपरोक्त

का क्रॉस केस मु0अ0सं0–106/2026 अन्तर्गत धारा 109(1),115(2),352,351(3),3(5) बी.एन.एस थाना नागल पर दर्ज है। सभी चुटैलो को साधारण प्रकृति की चोटे आई है। सहअभियुक्तगण रहमान एवं तालिब का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक नही है। प्रार्थीगण दिनांक 10.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के लडके जीशान व फैजान एवं पुत्रवधू अफशाना एवं अलफिशा के गाली गलौच करते हुए, मारपीट कर जान से मारने की नीयत से लाठी–डण्डो व धारदार हथियार से वार करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्तगण एवं अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी पर उपलब्ध आहतो की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में मजरूब जीशान के सिर के ऊपर दांयी तरफ ट्रामेटिक स्वेलिंग के साथ लेस्सरेटिड वून्ड, बांयी हथेली पर लेस्सरेटिड वून्ड दांये हाथ की छोटी अंगुली पर रेड एबरेजन की चोट आना व आहत की चोट सं0–1 को जेरे निगरानी रखते हुए, एक्सरे की सलाह दिया जाना, मजरूब फैजान के सिर के ऊपर दांयी तरफ ट्रामेटिक स्वेलिंग के साथ लेस्सरेटिड वून्ड, दांयी आंख पर ट्रामेटिक स्वेलिंग के साथ लेस्सरेटिड वून्ड, नीचे वाले होंठ पर रेड एबरेजन की चोट, दांयी बाजू पर ट्रामेटिक स्वेलिंग के साथ रेड एबरेजन व दांये घुटने के ऊपर रेड एबरेजन की चोट आना व आहत की चोट सं0–1 व 2 को जेरे निगरानी रखते हुए, एक्सरे की सलाह दिया जाना, मजरूबा अलफिशा के सिर पर लेस्सरेटिड वून्ड की चोट व मजरूबा अफसाना की बांयी बाजे पर लेड कन्टयूजन व रेड एबरेजन की चोट, दांयी बाजू पर कन्टयूज्ड स्वेलिंग की चोट आना व मजरूबा की चोट सं0–3 को जेरे निगरानी रखने की सलाह दिया जाना उल्लेखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहतो की एक्सरे आख्या के अनुसार आहत जीशान की चोट नम्बर–1 में पैराईटल बोन का फ्रैक्चर एवं आहत फैजान की चोट नम्बर–4 में अलना बोन का फ्रैक्चर पाये जाने के कारण आहतो की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहतो की उक्त चोटे गम्भीर प्रकृति की होना अभिलिखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहतो की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में धारा 117(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि किया जाना दर्शित है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि वादीपक्ष की ओर से अभियुक्त पक्ष के नफीस एवं रहमान के साथ मारपीट कर उन्हें गम्भीर उपहति कारित की गयी तथा जान से मारने की नीयत से लोहे की रोड एवं चाकू से वार किया गया था, जिसके सन्दर्भ में अभियुक्त पक्ष की ओर से वादी पक्ष के विरूद्ध मु0अ0सं0–106/2026 अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5) बी.एन.एस थाना नागल, जिला सहारनपुर पर दर्ज कराया गया था। मामला क्रॉस केस से सम्बन्धित है। इस स्तर पर आक्रामक पक्ष का निर्धारण किया जाना सम्भव नही है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 10.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहअभियुक्तगण रहमान एवं ताबिल का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2026 को स्वीकार किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **सावेज, नफीस एवं मोहतरम** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्तगण स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

2. आवेदक/अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

4. आवेदक/अभियुक्तगण साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–21.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891